संख्या- 520/2026/1323/22-2-2025-17(859)/2019

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 मई, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवनाथ पुत्र श्री शिवचरन, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025), दिनांक 25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवनाथ पुत्र श्री शिवचरन, जो मेहरबान खेडा, दा0-मेथीटीकुर, थाना-माखी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या की रंजिश के कारण दिनांक 11-02-2001 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक लाठी व कुल्हाडी से मारकर सरजू, चन्द्रिका, सताना, मंगल व रामखेलावन नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा अरविन्द नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-228/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 452, 148, 404 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), उन्नाव के आदेश दिनांक 18.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 09.06.2025 तक अपरिहार 24 वर्ष, 01 माह, 15 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष, 11 माह, 00 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु आख्या दिनांक 23. 05.2022 में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुई हत्या की रंजिश के कारण दिनांक 11.02.2001 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी, व कुल्हाड़ी से मारकर सरजू, चन्द्रिका, सताना, मंगल व रामखेलावन नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा अरविन्द नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिवनाथ पुत्र शिवचरन को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवनाथ (बन्दी संख्या-17300) पुत्र श्री शिवचरन, निवासी जनपद-उन्नाव की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 520/2026/1323(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।
3- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-520/2026/1323/22-2-2025-17(859)/2019

दिनांकः 18 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवनाथ पुत्र श्री शिवचरन, जो मेहरबान खेडा, दा0-मेथीटीकुर, थाना-माखी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या की रंजिश के कारण दिनांक 11-02-2001 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक लाठी व कुल्हाडी से मारकर सरजू, चन्द्रिका, सताना, मंगल व रामखेलावन नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा अरविन्द नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-228/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 452, 148, 404 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), उन्नाव के आदेश दिनांक 18.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 09.06.2025 तक अपरिहार 24 वर्ष, 01 माह, 15 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष, 11 माह, 00 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु आख्या दिनांक 23. 05.2022 में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुई हत्या की रंजिश के कारण दिनांक 11.02.2001 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी, व कुल्हाड़ी से मारकर सरजू, चन्द्रिका, सताना, मंगल व रामखेलावन नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा अरविन्द नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिवनाथ पुत्र शिवचरन को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।